रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 339] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 3, 2005/श्रावण 12, 1927
No. 339] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 3, 2005/SRAVANA 12, 1927

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2005

सा.का.नि. 518(अ).—दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 (1948 का 14) की धारा 59 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतदद्वारा विद्युत मंत्रालय के अधीन दामोदर घाटी निगम में वित्तीय सलाहकार के पद की भर्ती प्रणाली को नियंत्रित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाती है-

1. **लघु शीर्ष एवं विस्तार**

(1) ये नियम विद्युत मंत्रालय, दामोदर घाटी निगम भर्ती नियम, 2005 कहलायेंगे ।

(2) ये नियम भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतनमान**

पदों की संख्या, उनके वर्गीकरण और इससे संबद्ध वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न सूची के कॉलम(2) से (4) में विनिर्दिष्ट होंगे ।

3. **भर्ती प्रक्रिया, आयु, शैक्षिक योग्यताएं आदि**

उक्त पद के लिए भर्ती प्रक्रिया, आयु सीमा, शैक्षिक योग्यताएं तथा इससे संबंधित अन्य मामले उक्त सूची के कॉलम (5) से (14) में विनिर्दिष्ट किए जायेंगे ।

4. **अयोग्यता: कोई व्यक्ति-**

(क) जिसने पहली पत्नी के रहते हुए दूसरा विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है, अथवा

2325 GI/2005

(ख) जिसने पहले पत्नी के रहते हुए किसी अन्य के साथ दूसरा विवाह किया है या करने का अनुबंध किया है ।

उक्त पद पर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे ।

परंतु यदि केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति या विवाह की दूसरी पार्टी पर लागू होने वाली व्यक्तिगत विधि के अंतर्गत अनुमति योग्य है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं, तो इस नियम से व्यक्ति को छूट प्रदान करेगी ।

5. छुट्टी वेतन की पात्रता, अवकाश यात्रा छूट भत्ता(एलटीसी), स्वास्थ्य सुविधाओं सहित सेवा की वे शर्तें जिनके लिए इन नियमों में प्रावधान नहीं किया गया है वही होंगे जो केंद्र सरकार के ग्रुप " ए " अधिकारी के लिए स्वीकार्य हों ।

6. **छूट का अधिकार-** जहां केंद्र सरकार का यह विचार है कि ऐसा किया जाना आवश्यक अथवा अनिवार्य है तो वह किसी श्रेणी या श्रेणी के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी प्रावधान को आदेश द्वारा परिवर्तित कर सकती है जिसके कारणों को लिपिबद्ध किया जाएगा ।

2. व्यावृतियां-ये नियम अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों को इस संबंध में समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार प्रदान किए जाने वाले आरक्षणों, आयु सीमा में छूट तथा अन्य छूटों को प्रभावित नहीं करेंगे ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	डीवीसी में वर्गीकरण	वेतनमान	चयनित अथवा गैर-चयनित पद	केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) के नियम 30 के अंतर्गत स्वीकार्य सेवा के अतिरिक्त वर्षों का लाभ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
वित्तीय सलाहकार	कार्यभार पर निर्भर परितर्वन के अधीन 1(2005)	ग्रुप " ए "	18,400-500-22,400 रूपये	चयनित	लागू नहीं

सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा	सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य योग्यता	क्या सीधी भर्ती वालों के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिक योग्यता प्रोत्साहनकर्त्ता के मामले में लागू होगी ।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो ।
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या स्थानांतरण द्वारा भर्ती प्रक्रिया और विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा भरी गई रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण किया जाना है ।	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसका गठन क्या है ।	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है ।
(11)	(12)	(13)	(14)
प्रतिनियुक्ति द्वारा	**प्रतिनियुक्तिः**- केंद्र एवं राज्य सरकार के वे अधिकारी जो भारत सरकार में निदेशक, रैंक से कम के न हों । वांछनीयः प्रशासनिक, वित्तीय एवं बजटीय मामलों का अनुभव । प्रतिनियुक्ति की अवधिः वित्तीय सलाहकार के कार्य की अवधि दामोदर घाटी निगम में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष तक की होगी ।	खोज-सह-चयन समिति (1) सचिव- विद्युत मंत्रालय- अध्यक्ष (2) अध्यक्ष, दामोदर घाटी निगम- सदस्य (3) अध्यक्ष, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण- सदस्य (4) लोक उद्यम विभाग के प्रतिनिधि(जो अपर सचिव से कम रैंक के न हों)- सदस्य (5) व्यय विभाग के प्रतिनिधि(जो अपर सचिव से कम रैंक के न हों)- सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श अपेक्षित नहीं है ।

[फा. सं. 15/3/2001-डी.वी.सी.]

हरीश चन्द्र, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd August, 2005

G.S.R. 518(E).— In exercise of the powers conferred by Section-7, sub section-(a) of the Damodar Valley Corporation Act 1948 XIV of 1948 the Central Government hereby makes the following rules regulating the appointment of Financial Advisor (FA), Damodar Valley Corporation(DVC), a Corporation under the Ministry of Power, namely:-

1. **Short title and commencement**-(1) These rules may be called the Damodar Valley Corporation (Appointment of Financial Adviser) Rules 2005.
   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and scale of pay-** The number of post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age, qualification etc.** -The method of recruitment to the said post, age limit, qualification and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule aforesaid.

4. **Disqualification –** No person shall be eligible for appointment to the said post:

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. The conditions of service for which the provisions have not been made in these rules, including entitlement of leave salary, leave travel concession traveling allowances, medical facilities, shall be such as are admissible to a Group 'A' officer of the corresponding status in the Central Government.

6. **Power to relax** -Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Savings** - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Schedule Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	No. of the post	Classification	Scale of pay	Whether Selection Or Non-selection Post	Whether benefit of added years of service Admissible Under Rule 30 of the Central Civil Service (Pension)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Financial Adviser	1 (one)	Group A	Rs. 18,400 - 22,400	Selection	Not applicable

Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruit	Whether age and education qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotee	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or transfer, ,grades from which Promotion or deputation or transfer to be made	if Departmental Promotion Committee exists, what is composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)	(14)
By deputation	**Deputation**-The Officers of Central or State Government holding a post not below the Rank of Director to the Government of India. **Desirable**-Experience in administrative financial and budgetary matters. **Period of deputation**- The term of office of Financial Adviser shall be five years from the date on which he joins the post in Damodar Valley Corporation	Search-cum-Selection Committee (i) Secretary, Ministry of Power - Chairman (ii) Chairman,Damodar Valley Corp. - Member (iii) Chairman, Central Electricity - Member (iv) Representatives of Deptt. of Public Enterprises (not below the rank of Addl.Secy) - Member (v) Representative of Department of Expenditure(not below the rank of Additional Secretary - Member	Consultation with Union Public Service Commission not required

[F. No. 15/3/2001-DVC]

HARISH CHANDRA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.